

NOW GET UPDATES

ON



BY TYPING "UPDATES"

AND SENDING A MESSAGE ON

AT +919831144427

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

प्रश्नपत्र – 7 : प्रत्यक्ष कर कानून

प्रश्न 1 अनिवार्य है।

शेष छः में से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कार्यशील टिप्पणियाँ उत्तर का भाग होनी चाहिए।

**प्रश्न 1**

- (a) 'रामेश्वरम' ने 15 दिसम्बर, 2010 को ₹ 3,00,000 की मशीन क्रय कर उसे उपयोग में लिया जो अधिनियम के अन्तर्गत 15% की दर से ह्रास के लिए पात्र है। उसने 1 जनवरी, 2012 को ₹ 3,20,000 (उस तिथि को उचित बाजार मूल्य ₹ 2,50,000 था) में मशीन को गणेशम को बेचा जिसने उसे व्यापार उद्देश्य के लिए उपयोग करने के पश्चात् 15 नवम्बर, 2012 को वापस रामेश्वरम को ₹ 3,10,000 में बेचा।

करनिर्धारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए स्वीकार्य ह्रास तथा प्रभारयोग्य पूंजीगत लाभ की राशि की यह मानकर गणना करें कि दोनों 'रामेश्वरम' तथा 'गणेशम' द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्लॉक में केवल यही मशीन थी। (7 अंक)

- (b) अधिनियम के अन्तर्गत कर से बचने के मत से अपनी सम्पत्ति को विमुख करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की आय से कैसे डील किया जाएगा। (3 अंक)

- (c) भारतीय मूल का एक व्यक्ति श्री कुमार 1990 से सिंगापुर में कार्यरत था। वह जुलाई, 2011 में स्थायी रूप से रहने के लिए भारत वापिस आ गया जब उसमें भारत में धन को प्रेषित किया। मूल्यांकन तिथि 31.03.2013 के लिए, निम्न विवरण को दिया गया है। आपसे प्रत्येक मद को सम्मिलित करने अथवा अलग करने का औचित्य देते हुए करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए श्री कुमार की करयोग्य धन की गणना किजिए।

क्रम संख्या	विवरण	राशि ₹ में
1.	(a) सिंगापुर से भारत में प्रेषित धन से मई, 2011 में क्रय किए गए आभुषण	15 लाख
	(b) विदेश में खरीदी तथा बेची मोटर कार की बिक्री राशि से जुलाई, 2011 में क्रय किए गए आभुषण	14 लाख
2.	(a) 1 जनवरी, 2010 को औद्योगिक उद्देश्य के लिए क्रय जमीन	5.5 लाख

**DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES**

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"**

ऋण



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

	(c) 25 मार्च, 2015 का प्रत्येक जमाना के लिए किया गया ऋण	3.50 लाख
4.	पति से प्राप्त उपहार से अधिगृहित श्रीमती कुमार द्वारा धारित सम्पत्ति का मूल्य अंश तथा प्रतिभूति	2 लाख
	मुम्बई में आवासीय गृह सम्पत्ति	9 लाख
5.	अप्रवासी बाहरी खाता (NRE Account) की आहरण से जनवरी, 2014 में क्रय शहरी जमीन	25 लाख
6.	हस्तगत नकद	1 लाख
7.	बैंक में नकद	2 लाख

(10 अंक)

उत्तर

(a) स्वीकार्य ह्रास/प्रभारयोग्य पूंजीगत लाभ की गणना  
रामेश्वरम के मामले में

	₹
करनिर्धारण वर्ष 2011-12 (गत वर्ष 2010-11)	
1 अप्रैल, 2010 को अपलिखित मूल्य	शून्य
15 दिसम्बर, 2010 को वर्ष के दौरान जोड़	3,00,000
	3,00,000
घटाएँ : 7.5 प्रतिशत की दर से ह्रास (क्योंकि मशीनरी को 180 दिन से कम उपयोग किया गया है।)	22,500
1 अप्रैल, 2011 को अपलिखित मूल्य	2,77,500
करनिर्धारण वर्ष 2012-13 (गत वर्ष 2011-12)	
वास्तविक बिक्री प्रतिफल	3,20,000
घटाएँ : 1 अप्रैल, 2011 को अपलिखित मूल्य	2,77,500
धारा 50 के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य अल्पकालीन पूंजीगत लाभ	42,500
करनिर्धारण वर्ष 2013-14 (गत वर्ष 2012-13)	

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

**NOW GET UPDATES ON  BY TYPING "UPDATES" AND SENDING A MESSAGE ON  AT +919831144427**

**PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES**

घटाएँ: 7.5 प्रतिशत का दर से ह्रास (क्योंकि मशीनरी का 180 दिन से कम उपयोग किया गया है।)	20,813
1 अप्रैल, 2013 को अपलिखित मूल्य गणेशम के मामले में	2,56,687
करनिर्धारण वर्ष 2012-13 (गत वर्ष 2011-12)	
1 अप्रैल, 2011 को अपलिखित मूल्य	शून्य
1 जनवरी, 2012 को वर्ष के दौरान जोड़ (नोट 2 देखें)	2,50,000
	2,50,000
घटाएँ: 7.5 प्रतिशत की दर से ह्रास (क्योंकि मशीनरी को 180 दिवस से कम में उपयोग में लाया)	18,750
1 अप्रैल, 2012 को अपलिखित मूल्य	2,31,250
करनिर्धारण वर्ष 2013-14 (गत वर्ष 2012-13)	
वास्तविक बिक्री प्रतिफल	3,10,000
घटाएँ: 1.4.2012 को अपलिखित मूल्य	2,31,250
धारा 50 के अन्तर्गत वसूलीयोग्य अल्पकालीन पूंजीगत लाभ	78,750

**टिप्पणियाँ :-**

- धारा 43(1) की स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, जहां पर एक सम्पत्ति जो पहले एक करनिर्धारी से संबंधित थी तथा जिसे उसके द्वारा अपने व्यवसाय के लिए प्रयुक्त किया है तथा उसके पश्चात् अंतरण के कारण अथवा अन्यथा उसकी सम्पत्ति नहीं रही है, को पुनःअधिगृहित किया है, करनिर्धारी को वास्तविक लागत में से कम निम्न होगी:
  - सम्पत्ति के प्रथम अधिग्रहण पर वास्तविक लागत घटाएँ अंतरण की तिथि तक वास्तव में स्वीकार्य ह्रास (अर्थात् इस मामले में ₹ 2,77,500); अथवा
  - वास्तविक कीमत जिसमें उसे पुनःअधिगृहित किया है (अर्थात् ₹ 3,10,000)।
 इसलिए, इस मामले में रामेश्वरम द्वारा पुनःअधिगृहित मशीनरी की वास्तविक लागत ₹ 2,77,500 होगी जो उपरोक्त दी गयी दोनों राशि में से कम है।
- धारा 43(1) की स्पष्टीकरण 3 के अनुसार, जहां पर सम्पत्ति किसी समय करनिर्धारी द्वारा

**DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES**

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"**



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAACS.COM) FOR MORE UPDATES

जिस संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) का नाम अनुमोदन के साथ करनिर्धारण अधिकारी (A.O.) द्वारा निर्धारित किया है।

परिणामतः गणेशम के हाथों में मशीनरी की लागत ₹ 2,50,000 होगी यह मानकर कि प्रश्न में दिया गया उचित बाजार मूल्य संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमोदन के साथ करनिर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि है।

- (b) एक व्यक्ति जो कर से बचने के लिए अपनी सम्पत्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहा है की आय को धारा 175 के अनुसार डील किया जाएगा।

तदनुसार, यदि किसी वर्तमान करनिर्धारण वर्ष के दौरान करनिर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत किसी दायित्व के भुगतान से बचने हेतु अपनी सम्पत्ति के किसी भाग को प्रभारित, बिक्री, अंतरण अथवा निपटारा कर रहा है, उक्त व्यक्ति के कुल आय की गणना गत वर्ष की समाप्ति से उस तिथि तक जब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ की गई है, इसी कर निर्धारण वर्ष में कर से वसूली योग्य होगी।

इस प्रकार की अवधि में सम्मिलित प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा गत वर्ष का किसी भाग की कुल आय उस करनिर्धारण वर्ष में प्रभावी दर से वसूलीयोग्य होगी तथा प्रत्येक पूर्ण गत वर्ष अथवा किसी गत वर्ष का भाग के लिए पृथक् करनिर्धारण किया जाएगा।

करनिर्धारण अधिकारी इस प्रकार की अवधि अथवा उसके भाग के लिए इस प्रकार के व्यक्ति की आय का अनुमान लगा सकते हैं, जहां पर इसे अधिनियम में प्रदान तरीके से तुरंत निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत वसूलीयोग्य कर, अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में वसूलीयोग्य कर के अतिरिक्त होगा।

- (c) करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए श्री कुमार की शुद्ध धन की गणना

क्रम संख्या	विवरण	राशि ₹
1.	धारा 5(v) के अन्तर्गत सिंगापुर से भारत में प्रेषित धन से मई 2011 में क्रय जेवराहत का मूल्य विमुक्त है क्योंकि इसे उसके भारत में वापसी की तिथि से एकदम पहले एक वर्ष के अंदर क्रय किया है। (नोट 1 देखें)	शून्य
2.	विदेश से क्रय मोटर कार की बिक्री से जुलाई, 2011 में क्रय	शून्य

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

**PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES**

3.	1 जनवरी, 2010 के आद्योगिक उद्देश्य के लिए क्रय जमीन धारा 2(ea) के अन्तर्गत एक सम्पत्ति है क्योंकि इसके अधिग्रहण की तिथि से दो वर्ष बीत गए हैं। (नोट 3 देखें)	5,50,000
4.	25 जनवरी, 2013 को औद्योगिक उद्देश्य के लिए क्रय जमीन धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति नहीं है। (नोट 3 देखें)	शून्य
5.	धारा 4(1)(a) के कारण श्री कुमार की शुद्ध धन में सम्मिलित सम्पत्ति का मूल्य (नोट 4 देखें)	
	अंश तथा प्रतिभूति	शून्य
	(धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति नहीं है)	
	मुम्बई में आवासीय गृह सम्पत्ति	शून्य
	(धारा 5(vi) के अन्तर्गत विमुक्त)	
6.	अप्रवासी बाहरी (NRE) खाते में से वापिसी से पूर्व एक वर्ष के अंदर क्रय शहरी जमीन धारा 5(v) के अन्तर्गत विमुक्त है। (नोट 1 तथा 5 देखें)	शून्य
7.	₹ 50,000 से अधिक हस्तगत नकदी व्यक्तियों के मामले में सम्पत्ति है।	50,000
8.	बैंक में नकदी (धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति नहीं है)	शून्य
	सकल धन	6,00,000
	घटाएँ: धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति हेतु लिया गया ऋण 1 जनवरी, 2010 को औद्योगिक उद्देश्य के लिए क्रय की गई जमीन के विरुद्ध ऋण, घटाने योग्य है। (नोट 6 देखें)	2,75,000
	शुद्ध धन	3,25,000

नोट:—

- धारा 5(v) भारतीय मूल के व्यक्तियों अथवा भारतीय नागरिक जो साधारणतः विदेश में रहते हैं एवं जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से भारत में आते हैं को विशेष रियायत देता है। विदेश से प्रेषित धन से भारत में वापिस आने की तिथि से एकदम पूर्व एक वर्ष अथवा उसके पश्चात् किसी समय अधिगृहित सम्पत्ति का मूल्य धन कर से विमुक्त होगा। यद्यपि, यह विमुक्ति भारत में आने वाले इस प्रकार के व्यक्ति उस तिथि के बाद आरंभ होने वाले लगातार सात करनिर्धारण वर्ष के लिए उपलब्ध होगी।

**2. DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES**

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"**



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

करनिर्धारण के साथ उल्लेख है। इसका निर्णय करता है न्यायालय ने CWT vs. K.O. Mathews (2003) 261 ITR 702 (Ker) के मामले में दिया।

3. अधिगृहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए औद्योगिक उद्देश्य के लिए करनिर्धारी द्वारा धारित अनुपयुक्त जमीन धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति नहीं है।  
नोट: यह माना गया है कि प्रश्न की मद संख्या 2 में संदर्भित जमीन को किसी औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं किया है, तथा इसलिए "अनुपयुक्त जमीन" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।
4. श्रीमती कुमार द्वारा अपने पति श्री कुमार के उपहार से अधिगृहित सम्पत्ति को धारा 4(1)(a) के प्रावधान के अनुसार श्री कुमार की शुद्ध सम्पत्ति में सम्मिलित किया जाएगा। [CWT v. Kishan Lal Bubna (1999) 204 ITR 600 (SC)] यद्यपि, केवल धारा 2(ea) में निर्दिष्ट सम्पत्ति का मूल्य सम्मिलित है।  
इस मामले में, क्योंकि अंश तथा प्रतिभूति धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति नहीं है, इस प्रकार की सम्पत्ति का मूल्य श्री कुमार की शुद्ध सम्पत्ति की गणना में सम्मिलित नहीं होगा। आगे, यद्यपि, श्रीमती कुमार द्वारा क्रय आवासीय मकान का मूल्य श्री कुमार की शुद्ध धन में सम्मिलित योग्य है। वह इस प्रकार के गृह के संबंध में धारा 5(vi) के अन्तर्गत विमुक्ति का दावा कर सकता है।
5. इस प्रकार के व्यक्ति की भारत में वापसी की तिथि पर अपने गैर-निवासी (बाहरी) खाता Non-resident (External) Account में क्रेडिट धन राशि को उसके द्वारा उस तिथि को भारत में लाई गई धन राशि माना जाएगा।
6. क्योंकि 1 जनवरी, 2010 को क्रय औद्योगिक जमीन को श्री कुमार के शुद्ध धन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार की सम्पत्ति के संबंध में उत्पन्न ऋण की कटौती के रूप में आज्ञा होगी। 25 मार्च, 2013 को जमीन के क्रय के विरुद्ध ऋण कटौतीयोग्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार की जमीन धारा 2(ea) के अन्तर्गत सम्पत्ति नहीं है।

## प्रश्न 2

- (a) 'सचिन' ने अपनी अवयस्क पुत्री 'पल्लवी' की शिक्षा तथा रखरखाव के लिए एक 'न्यास' के अन्तर्गत सम्पत्ति का  $\frac{1}{4}$  अंश सेटल किया। न्यास प्रलेख की शर्तों के अन्तर्गत, पल्लवी की शिक्षा तथा रखरखाव का व्यय को पूरा करने के पश्चात् न्यास को उपाजित आय को संग्रहित करना था तथा उसे वयस्क होने पर भुगतान करना था। करनिर्धारण अधिकारी ने 'सचिन' के हाथों में 'पल्लवी' के लाभ के लिए इस प्रकार सेटल सम्पत्ति का  $\frac{1}{4}$  वां हिस्सा से उत्पन्न आय का निर्धारण 'सचिन' के हाथों में किया।

क्या करनिर्धारी अधिकारी ऐसा करने के लिए न्यायोचित तथा सही है? (5 अंक)

- (b) **DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES** 91

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"**

र 50 का राशि का एक पृथक् खाता दान खाता में क्रेडिट किया। करानधारण वर्ष



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

2011-12 का निर्धारण करने वाले करनिर्धारण अधिकारी प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष के लिए दान की राशि पर कम्पनी की आय के रूप में कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। कम्पनी ने करनिर्धारण अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति करते हुए आपसे परामर्श किया तथा आपकी राय मांगी। (5 अंक)

- (c) भारतीय निवासी 'नरगीस' के पास 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष में जुलाई, 2012 में क्रय लंदन में गृह सम्पत्ति, जून, 2004 में क्रय सिडनी में दुकान तथा अप्रैल 2012 में न्यूयार्क में क्रय एक वाणिज्यिक परिसर का स्वामित्व है। उसके पास जुलाई, 2011 से अपनी पुत्री तथा दामाद के द्वारा स्वामित्व कम्पनी का बैंक खाता (सिटी बैंक लंदन) को परिचालित करने का भी अधिकार है।

उसे करनिर्धारण वर्ष 2001-02 से 2012-13 के लिए अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत जुलाई, 2013 में नोटिस जारी किया। उसने पिछले 12 वर्षों के लिए धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के लिए करनिर्धारण अधिकारी की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए आपकी राय मांगी। उसे उपयुक्त ढंग से राय दें। (6 अंक)

उत्तर

- (a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1A) के अनुसार, अवयस्क बच्चे की आय को उस माता-पिता की आय में सम्मिलित करना चाहिए जिसकी कुल आय इस प्रकार की आय को सम्मिलित करने से पूर्व ज्यादा है।

उच्चतम न्यायालय ने CIT v M.R. Doshi (1995) 211 ITR 1 (SC) में निर्णय दिया कि जहां पर न्यास से आय को बच्चे की वयस्कता प्राप्त करने तक संगृहित करना है, आय सम्मिलित करने का (Clubbing) प्रावधान नहीं लगेगा क्योंकि अवधि के दौरान अवयस्क बच्चे को कोई लाभ उपार्जित नहीं होगा जब इस प्रकार का व्यक्ति अवयस्क है।

यद्यपि, इस मामले में, अवयस्क पुत्री पल्लवी अवधि के दौरान जिसमें वह अवयस्क थी लाभ के लिए पात्र है क्योंकि न्यास से आय को उसकी शिक्षा तथा रखरखाव व्यय के लिए प्रयुक्त किया है केवल शेष आय को संगृहित करना होगा तथा उसके वयस्क होने पर भुगतान करना होता है। इसलिए, क्योंकि न्यास प्रलेख की शर्तों के अन्तर्गत लाभ उपार्जित होता है, चाहे, अवयस्क की सीमित हद तक, धारा 64(1A) के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रावधान लागू होगा। इसलिए, करनिर्धारण अधिकारी द्वारा सचिन के हाथों में आय को सम्मिलित करने का निर्णय सही है, चाहे उतनी आय जो चालू वर्ष के दौरान पल्लवी की शिक्षा तथा रखरखाव व्यय को पूरा करने के लिए है को सचिन के हाथों में सम्मिलित किया जाएगा।

आगे, सम्मिलित करने के लिए (clubbing) के लिए दायी आय धारा 10(32) के अन्तर्गत ₹

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

- (b) SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS" प







PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान जिस वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित किया है करनिर्धारण वर्ष 2013-14 से पहले किसी करनिर्धारण वर्ष पर भी लागू होगा।

इस मामले में, कर से वसूलीयोग्य आय धारा 147 के उद्देश्य के लिए बचा हुआ करनिर्धारण माना जाएगा क्योंकि नरगीस की सम्पत्ति भारत से बाहर स्थित है।

इसलिए, इस आधार पर, करनिर्धारण अधिकारी ने एक राय बनायी कि आय करनिर्धारण से बच गयी है तथा तदनुसार, धारा 148 के अन्तर्गत 12 करनिर्धारण वर्ष अर्थात् करनिर्धारण वर्ष 2001-02 से करनिर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए नोटिस जारी किया।

अतएव, करनिर्धारण अधिकारी पहले के करनिर्धारण वर्षों के संबंध में पुनः करनिर्धारण प्रावधान को लगाने में न्यायोचित है यद्यपि, पुनः करनिर्धारण प्रक्रिया को लागू करने के लिए 16 वर्षों की विस्तारित समय-सीमा केवल करनिर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके पश्चात् के संबंध में लागू होगी, क्योंकि नरगीस ने भारत से बाहर एक सम्पत्ति को जुलाई, 2002 में क्रय किया।

तदनुसार, उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखकर, करनिर्धारण अधिकारी को दस करनिर्धारण वर्ष अर्थात् करनिर्धारण वर्ष 2003-04 से करनिर्धारण वर्ष 2012-13 तक के लिए नोटिस को जारी करने की कार्यवाही सही है। यद्यपि, वह धारा 148 के अन्तर्गत करनिर्धारण वर्ष 2001-02 तथा करनिर्धारण 2002-03 के लिए नोटिस को जारी नहीं कर सकते, क्योंकि 4 वर्ष अथवा 6 वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो गयी है।

### प्रश्न 3

- (a) 31 मार्च, 2013 को समाप्त गत वर्ष के लिए प्रासंगिक अधिनियम में समाहित प्रावधान के संदर्भ में निम्न कथन का परीक्षण करें:-
- धारा 68 के प्रावधान को लागू कर आय में वृद्धि करनिर्धारि पर लागू कर की सामान्य दर के तहत है।
  - किसी व्यक्ति को कच्चे तेल की बिक्री से भारतीय मुद्रा में कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त आय कर योग्य नहीं है।
  - वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) के प्रावधान कम्पनी को छोड़कर सभी करनिर्धारि पर लागू है। (6 अंक)
- (b) आयकर अधिनियम, 1961 में समाहित प्रावधान तथा निर्णित मुकदमों के संदर्भ में निम्न कथन की शुद्धता अथवा अन्यथा का परीक्षण करें :-
- करनिर्धारण अधिकारी धारा 72 के अन्तर्गत हानि का सेट-ऑफ की आज्ञा देने के

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES ए

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAACS.COM) FOR MORE UPDATES

(c) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सातु प्राइवेट लिमिटेड के पुस्तकीय लाभ का निर्धारण करने हेतु निम्न मदों का समायोजन करते हुए करनिर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की शुद्धता के बारे में अधिनियम में समाहित प्रावधान के संबंध में परीक्षण तथा स्पष्ट करें।

- (i) ₹ 3 लाख के पूर्व अवधि व्यय को लाभ तथा हानि खाता में डेबिट किया।
- (ii) लाभ तथा हानि खाता में समस्त वर्ष के लिए 1 जनवरी, 2013 को क्रय ₹ 20 लाख के मूल्य की कार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार 9.5% की दर से हास को वसूला गया। (4 अंक)

उत्तर

(a) (i) कथन गलत है।

वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा डाली धारा 115BBE करनिर्धारि की पुस्तकों में क्रेडिट राशि जिसे धारा 68 के अन्तर्गत आय माना गया है पर 30% (जमा अधिभार तथा उपकर जैसा लागू है) की अधिकतम सीमांत दर पर कर लगाता है।

आगे, इस प्रकार की मानी आय की गणना में आयकर अधिनियम, 1961 का किसी प्रावधान के अन्तर्गत किसी मूल विमुक्ति अथवा छूट की आज्ञा नहीं होगी।

(ii) कथन सही है।

धारा 10 में अनुच्छेद (48) को डाला है, जो निम्न शर्तों के पूर्ण होने पर किसी व्यक्ति को कच्चे तेल की बिक्री से भारतीय मुद्रा में कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त आय को कर से विमुक्ति को प्रदान करता है –

- (i) धन राशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रविष्ट अथवा अनुमोदित एक अनुबन्ध या समझौते के अन्तर्गत प्राप्त किया है।
  - (ii) विदेशी कम्पनी, तथा व्यवस्था अथवा समझौते को, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अधिसूचित किया है।
  - (iii) विदेशी कम्पनी इस प्रकार की व्यवस्था अथवा समझौते के अन्तर्गत आय की प्राप्ति के अलावा भारत में किसी अन्य गतिविधि में लिप्त नहीं है।
- (iii) कथन सही/गलत हैं (नीचे दिया नोट देखें।)

वैकल्पिक न्यूनतम कर का प्रावधान करनिर्धारण वर्ष 2013–14 के प्रभाव से कम्पनी को छोड़कर, लाभ से जुड़ी कटौती (अर्थात् शीर्षक "C कुछ आय के संबंध में कटौती" के अन्तर्गत अध्याय VIA में किसी धारा (धारा 80 P को छोड़कर) अथवा धारा 10AA के अन्तर्गत कटौती) का दावा करने वाले व्यक्ति पर लागू है।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

समायोजित कुल आय ₹ 20 लाख से अधिक है पर लागू है।

**PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES**

77. कथन का सही राशि से प्रमाणित किया जा सकता है, क्योंकि वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) कम्पनी को छोड़कर सभी करनिर्धारियों पर लागू है। इसे गलत भी माना जा सकता है क्योंकि स्वयं में वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) सभी करनिर्धारियों पर लागू नहीं होता परन्तु केवल यह लाभ से जुड़ी कटौती का दावा करने वाले करनिर्धारियों पर लागू होता है।

(b) (i) कथन सही है।

उच्चतम न्यायालय ने *CIT v Mahalakshmi Sugar Mills Co. Ltd.* (1986) 160 ITR 920, में निर्णय दिया कि यह करनिर्धारियों की कुल आय तथा परिणामतः कर दायित्व की सही राशि का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए करनिर्धारण अधिकारी को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान को लागू करना चाहिए। केवल क्योंकि करनिर्धारियों ने फाइल विवरणी में सेट ऑफ का दावा नहीं किया यह करनिर्धारियों अधिकारी को उपयुक्त मामले में धारा 72 को लागू करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की परिपत्र संख्या 14 (XL-35), दिनांक 11 अप्रैल, 1955 के अनुसार करनिर्धारण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक उचित तरीके से करदाता की सहायता करे, विशेष रूप से राहत का दावा करने के मामले में तथा इस संबंध में, उन्हें एक करदाता का मार्गदर्शन करने में पहल करनी चाहिए जहां पर उनके सम्मुख कार्यवाही अथवा अन्य विवरण संकेत देते हैं कि उन्हें कुछ वापसी अथवा राहत देय है।

इसलिए, उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड परिपत्र के आधार पर, करनिर्धारण अधिकारी धारा 72 के अन्तर्गत हानि की सेट ऑफ की आज़ा के लिए बाध्य है, चाहे यदि करनिर्धारियों ने फाइल विवरणी कर दावा नहीं किया, बशर्ते हानि का निर्धारण पहले के गत वर्ष में धारा 139(3) के अन्तर्गत फाइल विवरणी के तहत है।

इससे अधिक, धारा 72 में प्रयुक्त शब्द 'करेगा' (Shall) है जो संकेत देता है कि आगे ले जायी गयी हानि से संबंधित प्रावधान अनिवार्य है।

इसलिए, करनिर्धारण अधिकारी सेट ऑफ का दावा की आज़ा देने के लिए बाध्य है चाहे उस करनिर्धारियों ने फाइल विवरणी में उसका दावा नहीं किया है।

(ii) कथन गलत है।

धारा 245Q(3) के अनुसार, एक आवेदक आवेदन की तिथि से 30 दिवस के अंदर आवेदन को वापस ले सकता है।

**DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES**

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"**

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAACS.COM) FOR MORE UPDATES

के सामने उचित अन्याय के परिचायक आदेश का समर्थन करने का आदेश देने से संकेता नहीं है, यदि मामले की परिस्थिति इसे उचित ठहराए।

- (c) करनिर्धारण अधिकारी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार सही ढंग से रखी गयी लेखा पुस्तकें जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया है का परीक्षण करने का अधिकार सीमित है। इसके पश्चात् उसके पास जोड़ने तथा घटाने का सीमित अधिकार है जैसे नीचे धारा 115JB के स्पष्टीकरण 1 में प्रदान किया है।

करनिर्धारण अधिकारी के पास अंकक्षित लाभ तथा हानि खाता में दिखाए गए शुद्ध लाभ से आगे जाने का न्यायक्षेत्र नहीं है सिवाय जैसा नीचे धारा 115JB के स्पष्टीकरण 1 में प्रदान किया है। इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ने *Apollo Tyres Ltd. v. CIT* (2002) 255 ITR 273 में दिया है।

- (i) करनिर्धारण अधिकारी की कार्यवाही गलत है।

पूर्व अवधि व्यय जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 115JB(2) तथा धारा 211 के अन्तर्गत पढ़ा जाए, की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखकर AS 5 के अनुसार लाभ तथा हानि खाता में पृथक् रूप से दिखाया है, के लिए समायोजन की आवश्यकता नहीं है। [*CIT v. Khaitan Chemicals and Fertilizers Ltd.* (2008) 307 ITR 150 (Del)] आगे, पूर्व अवधि व्यय एक मद नहीं है जिसे धारा 115JB में दी गयी स्पष्टीकरण 1 में कवर किसी वाक्य के संदर्भ में समायोजित किया जा सकता है।

- (ii) करनिर्धारण अधिकारी की कार्यवाही सही है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार, ह्रास को वर्ष के दौरान किसी सम्पत्ति में की गयी वृद्धि के संबंध में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, ह्रास की 1 जनवरी, 2013 को क्रय कार के संबंध में अनुसूची XIV में निर्धारित दर पर 90 दिवस हेतु गणना की जाएगी। क्योंकि समस्त वर्ष के लिए ह्रास को लाभ तथा हानि खाता में डेबिट किया, आधिक्य ह्रास को जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV की आवश्यकता के अनुसार नहीं है।

#### प्रश्न 4

करनिर्धारण वर्ष 2013-14 से प्रासंगिक अधिनियम में समाहित प्रावधान के संदर्भ से निम्न समस्या/मुद्दे/मामले में से किन्हीं चार का गहन रूप से परीक्षण करें। आप अपने उत्तर के समर्थन में विधिक मुद्दों को भी दें।

- (i) एक कम्पनी ने निश्चित समय के अंदर प्लाण्ट तथा मशीनरी की आपूर्ति करने में विफलता

**DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES** त

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"** र

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAACS.COM) FOR MORE UPDATES

- (ii) एक किए गए दावा से संबंधित सूचना तथा विवरण या विवरणों (Return) में दिए गए हैं गलत नहीं है परन्तु इस प्रकार किये गये दावे को गलत पाया गया तथा करनिर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं किया गया तथा इसलिए प्रासंगिक करनिर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित आय में जोड़ा गया। करनिर्धारण अधिकारी ने विवरणी में किए गए गलत दावा जिसे आय में जोड़कर करनिर्धारण के दौरान अस्वीकृत किया था के कारण धारा 271(4)(c) के प्रावधान को लागू किया। क्या करनिर्धारण अधिकारी ऐसा करने में सही है।
- (iii) "शहनाज लिमिटेड" जो विभिन्न उत्पाद के निर्माण में लिप्त है को केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर ₹ 25 लाख का भुगतान करने के लिए कहा गया जिसे वर्ष 2002-2003 के दौरान जमा कर दिया गया तथा उसे करनिर्धारण वर्ष के लिए फाइल आय की विवरणी में कटौती के रूप में दावा किया। उत्पाद शुल्क को लगाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी तथा न्यायालय ने जून, 2012 में निर्णय दिया कि "यह कम्पनी द्वारा भुगतानयोग्य नहीं है।" उत्पाद विभाग ने उच्चतम न्यायालय के सम्मुख उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपील फाइल की। करनिर्धारण अधिकारी ने करनिर्धारण वर्ष 2013-14 में कम्पनी द्वारा प्राप्त लाभ पर कर लगाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
- (iv) धारा 234B तथा 234C के अन्तर्गत ब्याज को नहीं लगाया गया जहां पर एक कम्पनी का करनिर्धारण धारा 115JB के अन्तर्गत पुस्तकीय लाभ के आधार पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे ?
- (v) एक अभ्यासरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट "श्री अमोलक" की एकल फर्म को 1 नवम्बर, 2012 को साझेदारी में परिवर्तित किया जब उसका पुत्र 50% हिस्से के लिए फर्म में शामिल हुआ। पहले वाली एकल स्वामित्व फर्म की सम्पत्ति तथा दायित्व को नवगठित साझेदारी फर्म में अंतरित किया। "श्री अमोलक" को फर्म के खाते से ₹ 5 लाख क्रेडिट किए गए तथा भुगतान किया। "श्री अमोलक" के हाथों में ₹ 5 लाख की राशि का प्रभारयोग्यता को स्पष्ट करें जब इसका भुगतान –
- (i) व्यापार का साझेदारी में अंतरण हेतु किया हैं।
- (ii) नवीन साझेदार द्वारा ख्याति के लिए किया गया है। (4×4=16 अंक)

उत्तर

- (i) विचाराधीन मुद्दा है कि कम्पनी को निश्चित समय के अंदर प्लाण्ट तथा मशीनरी की आपूर्ति की विफलता के लिए प्लाण्ट तथा मशीनरी के आपूर्तिकर्ता से प्राप्त निस्तारित क्षतिपूर्ति ₹ 25 लाख को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में मानना है अथवा राजस्व प्राप्ति के रूप में।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES  
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

प्राप्त नहीं है। इसलिए, लाभ आने पर प्राप्त का विवरण करने के लिए करनिर्धारण अधिकारी को करनिर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त राशि व्यापार की साधारण व्यवस्था नहीं है, करनिर्धारण अधिकारी के हाथों में पूंजीगत प्राप्त है।

निम्न मामले में उपरोक्त निर्णय के औचित्य को लागू करते हुए करनिर्धारण अधिकारी का निस्तारित क्षतिपूर्ति को कर के रूप में वसूलीयोग्य आय मानना सही नहीं है।

- (ii) विचाराधीन मुद्दा है क्या धारा 271(1)(c) के अन्तर्गत दंडात्मक प्रावधान इस आधार पर लगेंगे कि विवरणी में किया गया दावा को गलत पाया गया यद्यपि विवरणी में दी गयी सूचना तथा विवरण सही था।

उच्चतम न्यायालय ने *CIT v. Reliance Petro-Products (P) Ltd.* (2010) 322 ITR 158 में निर्णय दिया कि धारा 271(1)(c) के प्रावधान लागू होंगे जहां पर इस प्रकार की आय के विवरण को छुपाया है अथवा गलत विवरण दिया गया है।

प्रश्न में दिए गए मामले में आय को छुपाया नहीं गया है। आगे, यहा गलत विवरण को देने का मामला भी नहीं है क्योंकि विवरण में दी गयी कोई सूचना/विवरण गलत अथवा अशुद्ध नहीं पाया गया। केवल एक गलत दावा (अर्थात् एक दावा जिसे अस्वीकृत कर दिया) को करना जो कानून की दृष्टि में सही नहीं है, स्वयं में गलत विवरण देने वाला नहीं बनता है।

जहां पर कोई निष्कर्ष नहीं है कि करनिर्धारण अधिकारी द्वारा दी कोई सूचना अथवा विवरण गलत अथवा असत्य था, धारा 271(1)(c) के अन्तर्गत दंड को लगाने का प्रश्न नहीं है।

इसलिए, करनिर्धारण अधिकारी धारा 271(1)(c) के अन्तर्गत दंड प्रावधान का लगाने में सही नहीं है।

- (iii) उच्चतम न्यायालय ने *Polyflex India (P) Ltd. v. CIT* (2002) 257 ITR 343 में निर्णय दिया कि जहां पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा बेची गयी वस्तु के संबंध में वैधानिक शुल्क का निर्वाहन किया तथा उस पर कटौती की आज्ञा दी गयी तथा बाद में भुगतान राशि वापस की गई, धारा 41(1)(a) का प्रथम भाग लागू होगा अर्थात् यह एक मामला है जहां पर करनिर्धारण अधिकारी ने "इस प्रकार का व्यय के संबंध में किसी राशि को प्राप्त किया है।

जहां पर व्यय को वस्तु का शुल्क का भुगतान के कारण वास्तव में किया है तथा पहले की अवधि की करनिर्धारण में कटौती अथवा छूट दी गयी है। करनिर्धारण अधिकारी उस लाभ पर कर के लिए दायी है जब वह उस प्रकार भुगतान राशि को वापस प्राप्त करती है। वापसी को भविष्य की तिथि पर नकारने की संभावना एक प्रासंगिक विचार नहीं है।

धारा 41(1) के अन्तर्गत करयोग्यता, यद्यपि, तब ही उत्पन्न होगी यदि करनिर्धारण अधिकारी ने न्यायालय के निर्णय के तहत वापसी प्राप्त की है। इस मामले में, क्योंकि प्रश्न में वर्णन

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

NOW GET UPDATES

ON



BY TYPING "UPDATES"

AND SENDING A MESSAGE ON WHATSAPP AT +919831144427

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

77C— यदि, प्रदान, करनिर्धारण प्रदान करता है तथा उत्तर शुल्क को वापस की प्राप्ति करता है, धारा 41(1) में मानने वाला प्रावधान सामने आता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि राजस्व उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें। यदि उच्च न्यायालय बाद की तिथि को शुल्क लगाने को सही ठहराता है, करनिर्धारण के पास राहत को वापस लेने का समाधान है।

इसलिए, यदि उत्पाद शुल्क उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत करनिर्धारण को वापस किया है, यह धारा 41(1) के तहत करयोग्य होगा तथा यह आवश्यक नहीं है कि राजस्व हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।

- (iv) विचाराधीन मुद्दा क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234B तथा 234C के अन्तर्गत ब्याज लगाया जा सकता है जहां कम्पनी को धारा 115JB के अन्तर्गत पुस्तकीय लाभ के आधार पर निर्धारित करना है। उच्चतम न्यायालय ने *Joint CIT v. Rolta India Ltd.* (2011) 330 ITR 470, के मामले में अवलोकित किया कि धारा 115JB(5) में एक विशिष्ट प्रावधान जो प्रदान करता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के सभी अन्य प्रावधान करनिर्धारण जो एक कम्पनी है पर लागू होंगे।

धारा 115JB न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित स्वयं समाहित कोड है तथा उसकी उपधारा (5) के कारण अधिनियम के सभी अन्य प्रावधान करनिर्धारण पर लागू होंगे तथा अग्रिम कर का भुगतान का दायित्व लागू होगा।

धारा 207 के अनुसार, करनिर्धारण की कुल आय जो उस वित्तीय वर्ष के एकदम बाद के करनिर्धारण वर्ष के लिए कर से वसूलीयोग्य होगा के संबंध में धारा 208 से 219 के प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम भुगतानयोग्य होगा।

धारा 115JB(1) के अन्तर्गत, जहां पर कुल आय पर भुगतानयोग्य कर एक कम्पनी का पुस्तकीय लाभ का 18.5% से कम है, "पुस्तकीय लाभ" को कुल आय माना जाएगा तथा 18.5% की दर से कर भुगतानयोग्य होगा।

क्योंकि इस प्रकार के मामले में, 'पुस्तकीय लाभ' को कुल आय माना जाता है, इसलिए धारा 207 के प्रावधान के अनुसार इस प्रकार के लाभ (जिसे कुल आय भी माना जाता है) के संबंध में कर अग्रिम रूप से भुगतानयोग्य होगा।

इसलिए, धारा 115JB के अन्तर्गत पुस्तकीय लाभ पर कर के आधार पर अग्रिम कर के भुगतान के लिए कम्पनी की तरफ से विफलता पर धारा 234B तथा 234C के अन्तर्गत ब्याज लगेगा।

- (v) (i) यदि राशि का व्यापार/पेशे को साझेदारी में अंतरण करने के लिए भुगतान किया— जहां एकल स्वामित्व व्यापार को साझेदारी में बदला, स्वामी का एकनिष्ठ हित घट

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

के उत्तराधिकार के भुगतान के पूजा शिवा के उत्तराधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। इसलिए, एक एकल स्वामित्व संस्था के द्वारा साझेदारी फर्म में अपने परिवर्तन पर पूंजीगत सम्पत्ति का अंतरण, एक अंतरण है।

क्योंकि इस प्रकार के अंतरण के लिए ₹ 5 लाख का प्रतिफल प्राप्त किया है, धारा 45 के उद्देश्य के लिए अंतरणकर्ता को लाभ अथवा अर्जन उत्पन्न होता है। धारा 45(3) के अनुसार, फर्म की पुस्तकों में रिकॉर्डिड ₹ 5 लाख की राशि, अंतरण के परिणाम से प्राप्त प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा तथा इस अंतरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ कर से प्रभारयोग्य होगा।

- (ii) यदि आगत साझेदार द्वारा राशि का भुगतान गुडविल के लिए किया है—उच्चतम न्यायालय ने *CIT v. B.C. Srinivasa Setty* (1981) 128 ITR 294 के मामले में अवलोकित किया है कि पूंजीगत लाभ से वसूलीयोग्य आय की गणना 'पूँजी सम्पत्ति की अधिग्रहण की लागत' का प्रतिफल का पूर्ण मूल्य को घटा कर की जाएगी, यदि अधिग्रहण की लागत को ज्ञात करना संभव नहीं है, तब इस प्रकार की सम्पत्ति का अंतरण कर से वसूलीयोग्य नहीं है।

धारा 55(2)(a) प्रदान करता है कि एक व्यापार की गुडविल सहित कुछ स्वयं-सृजित सम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत शून्य है। इसलिए, स्वयं धारा 55(2)(a) के अन्तर्गत कवर इन स्वयं सृजित सम्पत्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय का *B.C. Srinivasa Shetty* के मामले वाला निर्णय लागू नहीं होगा। यद्यपि, अन्य स्वयं सृजित सम्पत्ति जिसमें व्यवसाय की गुडविल सम्मिलित है, उच्चतम न्यायालय का *B.C. Srinivasa Setty* के मामले में दिया गया निर्णय लागू रहेगा।

वास्तव में धारा 55(2)(a) के अन्तर्गत कवर नहीं स्वयं सृजित सम्पत्ति के मामले में, क्योंकि लागत ज्ञात नहीं हो सकती, पूंजीगत लाभ हेतु कर दायित्व नहीं होगा।

इसलिए, इस मामले में क्योंकि ₹ 5 लाख का प्रतिफल का भुगतान व्यवसाय की गुडविल की तरफ है, जिसकी लागत शून्य नहीं ली गयी है, क्योंकि यह धारा 55(2)(a) में कवर नहीं है, पूंजीगत लाभ हेतु कर का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

#### प्रश्न 5

- (a) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए होटल व्यवसाय को चलाने में लिप्त एक साझेदारी फर्म 'सिमरण इंटरप्राइजेज' का लाभ तथा हानि खाता के अनुसार ₹ 200 लाख के शुद्ध लाभ को निम्न के प्रभार के पश्चात् निकाला –

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES <sup>₹</sup>

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS" <sup>₹</sup>





PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

- (iii) चुनाव आयोग द्वारा अनुमानित एक राजनियम के द्वारा 26 जनवरी को जारी स्मरण पत्र में प्रकाशित एक विज्ञापन के लिए ₹ 1,00,000 का भुगतान किया।
- (iv) संविदा की समाप्ति के कारण स्वतः रसोई उपकरण के आपूर्तिकर्ता को ₹ 2,00,000 की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया।
- (v) वर्ष 2010-11 में ₹ 30 लाख में शराब को आयात किया तथा 1 अप्रैल, 2012 को ₹ 10 लाख का उपलब्ध स्टॉक को सरकारी प्राधिकरण ने जब्त कर लिया तथा उसे अपलिखित किया।
- (vi) लाउंज, डाइनिंग हाल तथा स्वागत डेस्क क्षेत्र में कॉर्पेट का प्रतिस्थानापन्न पर ₹ 30 लाख का व्यय किया।

फर्म ने लाभ तथा हानि खाता में वसूल व्यय से संबंधित अतिरिक्त सूचना तथा विवरण भी प्रदान किया:-

- (i) अमेरिकन डालर 8000 के बराबर ₹ 4 लाख की राशि को अमेरिका से यात्रियों की बुकिंग के लिए कमीशन के रूप में अमेरिका के यात्री एजेंट को भुगतान किया। इस प्रकार के भुगतान से स्रोत पर कर कटौती नहीं की गई।
- (ii) बैंक कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल के कारण बैंकिंग परिचालन के निलंबन के कारण 11 जुलाई, 2012 को सब्जी तथा दुग्ध उत्पाद के चार आपूर्तिकर्ता को ₹ 30,000 प्रत्येक का नकद भुगतान किया।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 6 लाख को अशोध्य ऋण के रूप में अपलिखित किया। यद्यपि लगातार प्रयास से कुल अपलिखित राशि में से 18 मार्च, 2013 को ₹ 3 लाख की राशि को वसूल किया गया तथा उस "अशोध्य ऋण संचय" खाता में क्रेडिट किया।

करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए फर्म की कुल आय की गणना करें तथा मद में से प्रत्येक के लिए दिए गए उपचार के लिए संक्षेप में कारण दीजिए। (12 अंक)

- (b) 'SVS Propcon' ने करनिर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए फाइल आय की विवरणी में ₹ 20 लाख का दावा नहीं किया जिसे धारा 43B के अन्तर्गत गत करनिर्धारण वर्ष में अस्वीकृत कर दिया था। यद्यपि, उक्त दावा पर करनिर्धारण कार्यवाही के दौरान करनिर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि कोई पुनरीक्षित विवरणी को फाइल नहीं किया। क्या अब करनिर्धारण अपीलीय प्राधिकरण के सम्मुख इस प्रकार का दावा कर सकता है। (4 अंक)

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

उत्तर 5

(a) करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए सिमरण एंटरप्राइजेज की कुल आय की गणना

विवरण		राशि ₹
व्यवसाय तथा पेशे से आय लाभ तथा हानि खाता के अनुसार शुद्ध लाभ जोड़े: लाभ तथा हानि खाता में वसूल मद जो स्वीकार्य नहीं है ₹ 600 लाख पर 5% (अर्थात् 15% - 10%) की दर से भवन पर आधिक्य ह्रास (नोट 1 देखें) कर्मचारियों के मध्य परिवार नियोजन के संवर्द्धन पर व्यय (नोट 2 देखें) एक राजनैतिक दल की स्मारिका में विज्ञापन (नोट 3 देखें) रसोई उपकरण का आपूर्तिकर्ता को भुगतान क्षतिपूर्ति (नोट 4 देखें)	30,00,000 2,00,000 1,00,000 2,00,000	2,00,00,000 35,00,000
जोड़े: संचय में क्रेडिट अशोध्य ऋण की वसूली जो धारा 41(4) के अतर्गत वसूलीयोग्य है (नोट 9 देखें)		2,35,00,000 3,00,000
<b>कुल आय</b>		<b>2,38,00,000</b>

नोट:-

- होटल भवन प्लाण्ट नहीं है तथा इसलिए उस पर वसूलीयोग्य ह्रास 10% है यद्यपि, लाभ तथा हानि खाता में ह्रास को प्लाण्ट तथा मशीनरी पर लागू दर पर वसूल किया है अर्थात् 15% की दर से। तदनुसार, 5% की दर से (15% - 10%) लाभ तथा हानि खाता में वसूल आधिक्य ह्रास को वापस जोड़ा है।
- कर्मचारियों के मध्य परिवार नियोजन का संवर्द्धन पर किया गया व्यय धारा 36(1)(ix) के अन्तर्गत केवल कम्पनी करनिर्धारणी को स्वीकार्य है। इस मामले में, क्योंकि करनिर्धारणी फर्म है, इस प्रकार का स्वीकार्य नहीं है तथा इसलिए इसे वापस जोड़ा जाना चाहिए।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES  
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

- (4) पूंजीगत संपत्ति का जोड़ना के लिए अनुदान के लिए भुगतान क्षतिपूर्ति पूंजीगत व्यय की प्रकृति में है। अतएव, उसकी स्वीकृति नहीं है तथा वापस जोड़ा जाएगा। [Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd. v. CIT (1967) 63 ITR 65 (SC)]
- (5) व्यापारिक स्टॉक में हानि को व्यापारिक हानि माना जाता है। यहां पर धारा 37(1) का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह व्यापारिक हानि का मामला नहीं है परन्तु व्यापारिक हानि है। व्यापारिक हानि एक साधारण वाणिज्यिक सिद्धांत पर स्वीकार्य है। [Dr. T.A. Qureshi v. CIT (2006) 287 ITR 547 (SC)]
- इसलिए, क्योंकि शराब फर्म का व्यापारिक स्टॉक का भाग है, उसकी जब्ती की व्यापारिक हानि के रूप में आज्ञा होगी। क्योंकि उसे लाभ तथा हानि खाता से वसूला है, आगे की समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- (6) एक होटल द्वारा कॉर्पेट के प्रतिस्थानापन्न पर उत्पन्न व्यय व्यापार के उद्देश्य के लिए उत्पन्न व्यय है तथा अतएव धारा 37(1) के अन्तर्गत कटौती के लिए स्वीकार्य एक राजस्व व्यय है। क्योंकि उसे पहले की लाभ तथा हानि खाता में डेबिट कर दिया है, आगे समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- (7) स्रोत पर कर कटौती के बिना भारत से बाहर अनिवासी को कमीशन का भुगतान स्वीकार्य व्यय है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड परिपत्र संख्या 786, दिनांक 7 फरवरी, 2000 को परिपत्र संख्या 7, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 के निर्गमन पर वापस लेने के बावजूद क्योंकि भारत में अनिवासी को कोई आय उपार्जित अथवा उत्पन्न नहीं हुई है तथा भारत से बाहर विदेशी मुद्रा में कमीशन का भुगतान तथा प्रेषण किया। इसलिए, धारा 40(a)(i) के अन्तर्गत अस्वीकृति नहीं होगी चाहे स्रोत पर कर कटौती नहीं की गयी।
- (8) बैंक कर्मचारियों की हड़ताल वाले दिन किया गया ₹ 1,20,000 का कुल नकद भुगतान नियम 6DD(j) के अन्तर्गत अपवाद है। इसलिए, धारा 40A(3) के अन्तर्गत अस्वीकृति नहीं होगा।
- (9) ऋण की वसूली जिसे पहले अपलिखित किया था तथा धारा 36(1)(vii) के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत था इस प्रकार की वसूली का वर्ष में धारा 41(4) के अन्तर्गत कर से वसूलीयोग्य होगा। तदनुसार, इस प्रकार की राशि को आय में जोड़ा जाता है इस तथ्य के बावजूद उसे फर्म द्वारा संचय खाते में क्रेडिट किया।
- (b) हाँ, करनिर्धारि, अपलीय प्राधिकरण के सम्मुख अतिरिक्त दावा करने का हकदार है। यह प्रतिबंध कि पुनरीक्षित विवरणी को फाइल कर अतिरिक्त दावा, केवल करनिर्धारण अधिकारी के सम्मुख किए दावा के संबंध में लागू होता है। एक करनिर्धारि एक पुनरीक्षण

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES र  
म

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

यद्यपि, यह प्राधिकरण अपील प्राधिकरण (Appellate Authority) के सम्मुख अतिरिक्त दावा करने पर लागू नहीं होता है। अपीलीय प्राधिकरण के पास उनके सम्मुख अतिरिक्त दावा की आज्ञा देने का न्यायक्षेत्र है यद्यपि, इस प्रकार के न्यायक्षेत्र का उपयोग केवल प्राधिकरण की इच्छा पर निर्भर है। इस प्रकार का निर्णय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा *CIT v. Pruthvi Brokers & Shareholder* (2012) 208 Taxman 498 के मामले में दिया।

इसलिए, अपीलीय प्राधिकरण के सम्मुख अतिरिक्त दावा किया जा सकता है चाहे पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं की हो।

## प्रश्न 6

- (a) "1 जुलाई, 2012 को अथवा उसके पश्चात् आरंभ खोज के दौरान पायी गयी अप्रकट आय पर दंड को लगाने के लिए दंड प्रावधान को अधिक से अधिक कठोर बनाए गए।" स्पष्ट करें। (5 अंक)
- (b) XYZ प्राइवेट लिमिटेड की करनिर्धारण वर्ष 2010–11 के लिए करनिर्धारण धारा 143(3) के अन्तर्गत जोड़ कर तथा मांग का सृजन कर पूर्ण हुआ। कम्पनी ने CIT(A) से प्राप्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की तथा राहत की आज्ञा प्राप्त की। यद्यपि, विभाग द्वारा CIT(A) के आदेश को चुनौती दी गयी तथा ITAT द्वारा उलट दिया गया। इस संदर्भ में निम्न परिस्थिति में धारा 220(2) के अन्तर्गत CIT(A) के आदेश की तिथि से ITAT के द्वारा आदेश की तिथि तक करनिर्धारण अधिकारी द्वारा वसूल ब्याज के भुगतान के संबंध में कम्पनी का दायित्व स्पष्ट करें:—
- (i) आदेश के अनुसार मांगी कर मांग का भुगतान धारा 156 के अन्तर्गत जारी नोटिस के अनुसार स्वीकृत समय के अनुसार कर दिया गया।
- (ii) आदेश के अनुसार मांग कर का भुगतान नहीं किया। (4 अंक)
- (c) एक अनिवासी भारतीय पीयूष जो इंग्लैंड में लगभग 20 वर्षों के प्रवास के पश्चात् भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए 12 जून, 2012 को भारत में वापस आ गया अपनी विभिन्न आय के स्रोत को प्रदान करता है तथा करनिर्धारण वर्ष 2013–14 में अपने दायित्व के बारे में जानना चाहता है जिस पर भारत में आयकर लगता है:—
- (i) लंदन में फ्लैट की किराया की आय जिसे वहां पर बैंक में जमा किया। फ्लैट को उसके द्वारा जुलाई, 2012 से भारत में वापसी के पश्चात् किराया पर दिया।
- (ii) तीन जर्मन कम्पनियों के अंश पर लाभांश जिसे लंदन में बैंक खाता में एकत्रित किया जा रहा है। वह भारतीय रिजर्व बैंक की आज्ञा से लंदन में अंश पर लाभांश रखने का प्रस्ताव करता है।

(iii) उसके दो पुत्र हैं जिनमें से एक 12 वर्ष का है। दोनों पुत्र लंदन में रह रहे हैं तथा

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES 0

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

अधिगृहित 1000 अंशों को बेचा तथा बिक्री राशि को प्रत्यावर्तित (Repatriated) में

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAACS.COM) FOR MORE UPDATES

किया है। 1000 अंश का विक्रय पर निरिद्ध नोटिस के समय में लाभ ₹ 37,500 की लागत पर 175% था जबकि भारतीय ₹ की संदर्भ में ₹ 50,000 था। (7 अंक)

उत्तर

(a) आय को छुपाने की प्रैक्टिस को रोकने के लिए, दंड प्रावधान को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा धारा 271AAB को डालकर अधिक कठोर बनाया गया, जो खोज जिसे 1 जुलाई, 2012 को अथवा उसके पश्चात् आरंभ किया है के दौरान पायी गयी अप्रकट आय पर दंड लगाने के लिए कहता है जो विशिष्ट गत वर्ष से संबंधित है अर्थात् –

- गत वर्ष जो खोज की तिथि से पूर्व समाप्त हो गया, परन्तु उसके लिए आय की विवरणी को फाइल करने की देय तिथि खोज की तिथि से पूर्व समाप्त नहीं हुई है तथा विवरणी को जमा नहीं किया है।

- गत वर्ष जिसमें खोज को किया गया है।

धारा 271AAB के अन्तर्गत

- 10% का दंड लागू होगा, यदि धारा 132(4) के अन्तर्गत दिए गए विवरण में खोज के दौरान अप्रकट आय पायी जाती है, तथा करनिर्धारि तरीके को स्पष्ट करता है कि किसी प्रकार आय को निकाला, निर्दिष्ट तिथि (अर्थात् आय की विवरणी को फाइल करने की देय तिथि अथवा तिथि जिस पर धारा 153A के अन्तर्गत जारी नोटिस में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है जैसा भी मामला है) को अथवा उससे पूर्व अप्रकट आय के संबंध में ब्याज सहित कर का भुगतान करता है तथा इस प्रकार अप्रकट आय की घोषणा करते हुए निर्दिष्ट गत वर्ष के लिए आय की विवरणी जमा करता है।

- यदि निर्दिष्ट गत वर्ष से संबंधित अप्रकट आय को धारा 132(4) के अन्तर्गत जमा विवरण में खोज के दौरान स्वीकृत नहीं करता हैं परन्तु खोज की तिथि के पश्चात् आय की विवरणी में प्रकट करता है, तथा निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ब्याज यदि कोई है सहित कर का भुगतान करता है तब करदाता अप्रकट आय का 20% की दर से दंड के लिए दायी होगा।

- सभी अन्य मामले में, अप्रकट आय का 30% से 90% के बीच दंड लगेगा।

(b) (i) जहां पर मांगे गए कर का भुगतान धारा 156 के अन्तर्गत जारी नोटिस के अनुसार स्वीकृत समय के अंदर पूर्व रूप से कर दिया जाता है

धारा 220(2) के अन्तर्गत ब्याज लगेगा यदि धारा 156 के अन्तर्गत मांग का नोटिस है तथा नोटिस में निर्दिष्ट समग्र के अंदर दस प्रकार मांगी राशि के भुगतान में चक

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

दिया है इसलिए, कम्पनी CIT(A) के आदेश को तोथ स ITAT के आदेश की

तिथि तक कर अंश का 15% ब्याज 220(2) के अन्तर्गत व्याज के भुगतान के लिए दायी नहीं है।

इस मत का समर्थन *Vikrant Tyres Ltd. v. First ITO* (2001) 247 ITR 821 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने किया।

(ii) आदेश के अनुसार मांगे कर का भुगतान नहीं किया

जहां मूल रूप से करनिर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया करनिर्धारण को एक अपीलिय प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित किया है अथवा निरस्त किया है परन्तु आगे अपील पर, करनिर्धारण अधिकारी के मूल आदेश को भाग में अथवा पूर्ण रूप से बहाल कर दिया है, धारा 220(2) के अन्तर्गत भुगतान योग्य ब्याज की गणना मूल मांग नोटिस से गिनी देय तिथि के संदर्भ में की जाएगी। तथ्य कि एक मध्यवर्ती अवधि के दौरान किसी कार्यकारी आदेश के अन्तर्गत करनिर्धारण द्वारा भुगतानयोग्य कर नहीं था इस स्थिति में कोई अंतर नहीं लाता। [*Girnar Investment v. CIT* (2012) 340 ITR 529 (Del.)]

इसलिए, यदि कम्पनी ने धारा 156 के अन्तर्गत मांग की नोटिस देने की 30 दिवस के अंदर आदेश के अनुसार मांगी कर का भुगतान नहीं किया यह कर का भुगतान करने तक मांग की यह कर के पूर्ण भुगतान तक मांग की मूल नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समर्पित के एकदम बाद वाले दिन से आरंभ अवधि में मिलकर प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए 1% की दर से साधारण ब्याज के लिए दायी होगा।

(c) पीयूष इंग्लैंड में 20 वर्ष प्रवास करने के पश्चात् भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए 12 जून, 2012 को भारत में वापिस लौटा। गत वर्ष 2012-13 के दौरान वह भारत में 293 दिवस रहा। क्योंकि वह गत वर्ष 2012-13 के दौरान 182 दिवस अथवा अधिक के लिए भारत में रहा, वह करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए भारत में निवासी होगा। यद्यपि, वह निवासी परन्तु असाधारण निवासी होगा यह मानकर कि वह गत वर्ष 2012-13 से पहले दस गत वर्षों में से 9 वर्ष में अनिवासी था। उसका सात गत वर्षों के दौरान उसका प्रवास 730 दिवस से कम है। करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए पीयूष का निवासी स्थिति निवासी परन्तु असाधारण निवासी हैं।

धारा 5(1) के अनुसार, केवल आय जिसे भारत में प्राप्त किया/प्राप्त हुआ माना जाएगा या उपार्जित हुई/उपार्जित अथवा उत्पन्न माना जाएगा को निवासी परन्तु असाधारण निवासी के मामले में करयोग्य होगी। आय जो भारत से बाहर उपार्जित अथवा उत्पन्न होती है को उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे भारत में नियंत्रित अथवा स्थापित व्यापार से प्राप्त न किया हो।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCACS.COM) FOR MORE UPDATES

(ii) तदननुसार एक वयस्क बच्चे का निर्वाह करने के लिए कर्त्तव्यता की अंशों से लाभों का एक निवासी परन्तु असाधारण निवासी के मामले में भी करयोग्य नहीं होगा क्योंकि दोनों उपार्जन तथा आय की प्राप्ति भारत से बाहर हैं।

(iii) धारा 64(1A) के अनुसार, एक अवयस्क बच्चे की उपार्जित अथवा उत्पन्न सभी आय धारा 10(32) के अन्तर्गत ₹ 1500 प्रति बच्चा की कटौती को प्रदान करने के पश्चात् माता-पिता के हाथों में सम्मिलित होगा।

तदनुसार, उसकी 12 वर्षीय अवयस्क पुत्र की भारत में उपार्जित ₹ 20,000 की आय ₹ 1500 की कटौती प्रदान करने के पश्चात् पीयूष की आय में सम्मिलित है। इसलिए, ₹ 18,500 पीयूष की आय में सम्मिलित है। भारत से बाहर अवयस्क बच्चे की आय पीयूष की आय में सम्मिलित नहीं है।

यह माना गया है कि उसका अन्य पुत्र एक वयस्क पुत्र है तथा अतएव उसकी आय पीयूष की आय में सम्मिलित नहीं है।

(iv) पहले के लेखांकन वर्ष में बेचे 1000 अंशों की बिक्री राशि का प्रत्यावर्तन तब किया जब पीयूष अनिवासी था, करनिर्धारण वर्ष 2013-14 में करयोग्य नहीं है क्योंकि यह गत वर्ष 2012-13 की आय नहीं है।

परिणामतः केवल धारा 64(1A) के अन्तर्गत सम्मिलितयोग्य आय करनिर्धारण वर्ष 2013-14 की कुल आय का भाग बनेगा। क्योंकि उसकी कुल आय (अर्थात् ₹ 18,500) मूल विमुक्ति सीमा से कम है, करनिर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर का कोई दायित्व नहीं होगा।

#### प्रश्न 7

(a) अधिनियम का अध्याय XVII में समाहित प्रावधान स्पष्ट करें तथा निम्न मामलों में आय का भुगतानकर्ता द्वारा कटौती की जाने वाली राशि को बताएं :-

(i) 'राजस्थान का ग्रामीण विरासत का अनुरक्षण' के विषय पर एक वाद-विवाद प्रतिस्पर्द्धा का गठन के लिए JCP & Co. द्वारा Pingu Events Ltd. को ₹ 5 लाख का भुगतान।

(ii) बीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक पुनर्बीमा कम्पनी द्वारा बीमाकर्ता कम्पनी को ₹ 1 लाख का "लाभ कमीशन" का भुगतान।

(iii) DAF Pvt. Ltd. का एक अंशकालिक निदेशक KD को ₹ 2,25,000 का शुल्क के रूप में भुगतान किया जो वास्तव में 1 अप्रैल 2013 से 30 जून, 2013 की अवधि के लिए बिक्री पर कमीशन की प्रकृति में था। (6 अंक)

(b) **DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES**

**SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"**



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

- (i) प्रेम लिमिटेड ने खुद बाजार में जरा के क्रय के द्वारा जरा पूजा का क्रय वापसी करने का निर्णय लिया। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रेम लिमिटेड ने स्वयं के 10,000 अंशों को क्रय किया।
- (ii) S Ltd. ने अगले तीन वर्षों के लिए भारत में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी व्यवसाय को नहीं चलाने के लिए सहमत होने पर 3 जनवरी, 2013 को K Ltd. से ₹ 10 लाख की राशि प्राप्त की।
- (iii) एक कम्पनी के पास 31 मार्च, 2013 को अंतिम स्टॉक की इवेंटरी है, जिसके निर्माण की लागत ₹ 50 लाख तथा भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क ₹ 6 लाख था। क्योंकि उत्पाद शुल्क वास्तविक भुगतान पर कटौती के लिए पात्र था, कम्पनी ने केवल ₹ 50 लाख पर स्टॉक का मूल्यांकन किया। कम्पनी ने विवरणी की फाइलिंग की तिथि तक इस प्रकार का स्टॉक पर ₹ 4 लाख का शुल्क का भुगतान किया।
- (iv) P Ltd. ने श्री Rodrigues (एक अनिवासी) जो भारत से बाहर विभिन्न ग्राहकों से आदेश बुक करने के लिए एजेंट का काम करता है को स्रोत पर कर कटौती के बिना 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री कमीशन के रूप में ₹ 50 लाख का भुगतान किया।
- (v) क्या निम्न सौदे को अस्वीकृति के लिए धारा 43B के अन्तर्गत कवर किया जा सकता है?
- (a) विवादित कर दायित्व की तरफ कम्पनी द्वारा दी गयी बैंक गारंटी।
- (b) बिक्री कर विभाग को भुगतानयोग्य ब्याज परन्तु विवरणी की फाइलिंग तक भुगतान नहीं किया। (2×5 = 10 अंक)

उत्तर

- (a) (i) केवल क्रीड़ा गतिविधियों से संबंधित इवेंट प्रबंधकों की सेवा को धारा 194J के उद्देश्य के लिए 'पेशेवर सेवा' के रूप में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया है। इस मामले में, एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का गठन करने के लिए एक इवेंट प्रबंधक कम्पनी को ₹ 5 लाख का भुगतान किया। अतएव, धारा 194J के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती प्रावधान इस मामले में नहीं लगेगा।

यद्यपि ठेकेदार को भुगतान से संबंधित धारा 194C के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान लगेगा तथा परिणामतः धारा 194C के अन्तर्गत 2% की दर से कर कटौती की जाएगी। धारा 194C के अन्तर्गत कटौतीयोग्य कर ₹ 5 लाख का 2% ₹ 10,000 होगा।

- (ii) धारा 194D की प्रतीक्षा के लिए 10% की दर से स्रोत पर कर कटौती करने के लिए

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

य



PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAANDCS.COM) FOR MORE UPDATES

धारा 194D का अन्तर्गत कर दर, धारा के अन्तर्गत कर कमीशन अथवा कोई अन्य भुगतान बीमा व्यापार को प्राप्त करने अथवा आग्रह के लिए पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार होना चाहिए, बीमा कम्पनियों पुनःबीमा कम्पनी के लिए व्यापार को प्राप्त नहीं करता ना ही पुनःबीमाकर्ता बीमा कम्पनियों से बीमा आग्रह करने के लिए व्यापार का आग्रह के लिए कमीशन का भुगतान अथवा अन्य भुगतान करता है, इसलिए धारा 194D लागू नहीं होगा।

अतएव, जब लाभ कमीशन का भुगतान एक पुनःबीमा कम्पनी द्वारा एक बीमा कम्पनी को इस प्रकार के मामले में संबंध में बीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भुगतान किया जाता है जहाँ पर पुनःबीमा समझौते के परिचालन के दौरान कोई दावा नहीं है, धारा 194D के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाती है।

- (iii) धारा 194J एक निदेशक को कोई पारिश्रमिक अथवा शुल्क अथवा कमीशन जिसे कोई भी नाम देवें एवं जो वेतन की प्रकृति का नहीं है जिस पर धारा 192 के अन्तर्गत स्रोत पर कटौतीयोग्य कर है के भुगतान पर 10% की दर से स्रोत पर कटौती को प्रदान करता है।

अतएव, एक अंशकालिक निदेशक KD को DAF Pvt. Ltd. द्वारा भुगतान ₹ 2,25,000 के कमीशन पर धारा 194J के अन्तर्गत 10% की दर से स्रोत पर कर कटौतीयोग्य है। धारा 194J के अन्तर्गत कटौतीयोग्य कर ₹ 2,25,000 का 10% ₹ 22,500 होगा।

- (b) (i) प्रेम लिमिटेड के हाथों में कर दायित्व नहीं है, क्योंकि भुगतान पूंजीगत खाता पर हैं। साथ में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 77A के अनुसार स्वयं के अंशों के क्रय पर एक कम्पनी द्वारा किया गया भुगतान धारा 2(22) के अन्तर्गत लाभांश नहीं होगा। अतएव, प्रेम लिमिटेड की लाभांश वितरण कर का भुगतान का दायित्व नहीं है, यह मानकर कि अंशों का क्रय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 77A के अनुसार है।

यद्यपि, पूंजीगत लाभ कर दायित्व धारा 46A के अन्तर्गत अंशधारकों के हाथों में लगेगा तथा अंशधारकों द्वारा प्राप्त प्रतिफल का मूल्य तथा अधिगृहण की लागत के मध्य अंतर को एक कम्पनी द्वारा अंशों का क्रय का वर्ष में अंशधारकों को उत्पन्न पूंजीगत लाभ माना जाएगा।

- (ii) धारा 28 के अनुसार, किसी व्यापार से संबंधित किसी गतिविधि को ना चलाने के लिए एक समझौते के अन्तर्गत प्राप्त राशि (अर्थात् गैर-स्पर्द्धा शुल्क) शीर्षक 'व्यवसाय तथा पेशे से लाभ तथा अर्जन' के अन्तर्गत आयकर से वसूलीयोग्य है।

र  
0

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

PLEASE VISIT [WWW.STUDENTSOFCAACS.COM](http://WWW.STUDENTSOFCAACS.COM) FOR MORE UPDATES

(iii) वस्तु का मूल्य का सान उपाय शुल्क शासन उपाय होता है तथा इसलिए, इसे धारा 145A के अनुसार अंतिम स्टॉक के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए, अंतिम स्टॉक का मूल्य ₹ 56 लाख (अर्थात् ₹ 6 लाख का भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क सहित) पर किया जाएगा।

धारा 43B के अनुसार, विवरणी की फाइलिंग की देय तिथि को अथवा उससे पूर्व भुगतान उत्पाद शुल्क ₹ 4 लाख की कटौती का दावा कर सकता है।

(iv) एक भारतीय निर्यातक का विदेशी एजेंट स्वयं के देश में कार्य करता है तथा उसकी आय का कोई भाग भारत में उपार्जित अथवा उत्पन्न नहीं होता है। उसका कमीशन को प्रायः उसे सीधे रूप से प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसलिए, उसके द्वारा अथवा उसकी तरफ से भारत में प्राप्त नहीं किया जाता। भारत से बाहर प्रदान सेवा के लिए अनिवासी एजेंट को भुगतान कमीशन इसलिए भारत में वसूलीयोग्य नहीं है। क्योंकि अनिवासी जो भारत से बाहर रहता है के द्वारा आदेश को बुक करने के लिए प्राप्त कमीशन भारत में कर योग्य नहीं है, परिणामतः भारत से बाहर इस प्रकार का अनिवासी को कमीशन का भुगतान के संबंध में धारा 40(a)(i) की अस्वीकृति नहीं लगती चाहे स्रोत पर कर कटौती नहीं की गयी। यदि भारत से बाहर श्री रोड्रिग्स को विदेशी मुद्रा में ₹ 50 लाख की राशि को प्रेषित किया तब धारा 40(a)(i) के अन्तर्गत अस्वीकृति स्रोत पर कर कटौती न करने पर नहीं होगी।

यद्यपि, क्योंकि प्रश्न वर्णित करता है कि, P Ltd. ने बिक्री कमीशन हेतु ₹ 50 लाख का भुगतान किया। यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि भुगतान को भारत में किया है (क्योंकि इसे भारतीय मुद्रा में किया है), जिस मामले में, आय अनिवासी के हाथों में करयोग्य होगी। परिणामतः स्रोत पर कर की कटौती ना करने के लिए धारा 40(a)(i) के अन्तर्गत अस्वीकृति होगी।

(v) (a) धारा 43B के अन्तर्गत सूचीबद्ध किसी व्यय की कटौती का दावा करने के लिए, उस धारा में वर्णित आवश्यकता है कि भुगतान वास्तविक होना चाहिए न कि माना गया। बैंक गारंटी को जमा करना वास्तविक भुगतान के बराबर नहीं माना जा सकता। वास्तविक भुगतान में धन को करनिर्धारी से सार्वजनिक कोष में प्रवाहित होना चाहिए जैसा धारा 43B में निर्दिष्ट है। इसलिए, धारा 43B के अन्तर्गत कवर एक व्यय की कटौती का दावा केवल बैंक गारंटी को जमा कर नहीं किया जा सकता। [CIT v. Mc Dowell & Co. Ltd. (2009) 314 ITR 167 (SC)]

(b) भुगतानयोग्य ब्याज की राशि बिक्री कर का भाग है तथा, इसलिए, इस प्रकार का ब्याज के संबंध में धारा 43B का प्रावधान लागू होता है।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

ITR 218 (Raj)]